2/ का.अ./डी-6/19-20

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2663...../एफ–7–35/31/एस–2/2020, अटल नगर, दिनांक 04/08/2020

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– **बिलासपुर जिले के अरपा नदी पर पचरीघाट के पास बैराज निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.–40/बो.प्र./AA/त.क./ह.क./2020/4437, नवा रायपुर, दि. 29.05.2020.

––00––

राज्य शासन एतद् द्वारा बिलासपुर जिले के अरपा नदी पर पचरीघाट के पास बैराज निर्माण योजना हेतु लागत राशि रु. 4897.53 लाख (रुपये अड़तालीस करोड़ सन्तान्वें लाख तिरपन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना जल संरक्षण, पेयजल एवं भू–जल संवर्धन हेतु प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।

5. योजना पर व्यय बजट माँग संख्या–45–लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702–लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102} भू–तल जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), 5059–एनीकट/स्टॉपडेम का निर्माण, #26- वृहद् निर्माण कार्य, 005 बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 427/R.N.267/बजट–2/वित्त 2020, दिनाँक 21.07.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4.8.2020

(वृन्दावन सेन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

..2

Scanned with CamScanner

कार्या० मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ०क्र० 8/कार्या/डी-6/19-20 दिनांक 10/08/2020

प्रतिलिपि,

(1) अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर को स्वीकृत राशि अनुसार इस कार्यालय के बुकलेट में सुधार की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(3) सामान्य कक्ष/बजट कक्ष इस कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) मानचित्रकार-2 इस कार्यालय को प्रशासकीय स्वीकृति पंजी में प्रविष्टि हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कृते मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
बिलासपुर (छ.ग.)